



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4459/सं०नि०-20(अ०रा०वै०शो०सं०)/गै०वे०-15) 2024-25 दिनांक 23 फरवरी, 2026 तथा निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या के पत्र संख्या-157/अ०रा०वै०शो०सं०/ 2025-26 दिनांक 14 जनवरी, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम किश्त के रूप में **रु० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या का होगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

7. अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
8. अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 092 लेखाशीर्षक 2205001012700** अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या **मानक मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 71 /2026 / 637 (1)/चार-2026-1685502 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।